

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या...../भू-अ0.

दिनांक.....

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रामपुर रौता, थाना-कुशेश्वरस्थान, थाना नं0-250, अंचल-कु0स्थान पूर्वी, जिला-दरभंगा में कुल-1.08 एकड़ यानि 0.437 हे0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना-कुशेश्वरस्थान से धबोलिया जाने वाली पथ में कमला नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है :- यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू-अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू-अर्जन के कारण कुलX..... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रामपुर रौता, थाना-कुशेश्वरस्थान, थाना नं0-250, अंचल-कु0स्थान पूर्वी, जिला-दरभंगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मावेश 1.08 एकड़ यानि 0.437 हेक्टेयर मानक माप का भू-खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)		
							उ0	द0	प0
1	1331	3419	रैयती	धनहर-1	0.085	श्री रामावतार शर्मा, पे0 स्व0 जीवछ शर्मा वगै0	परमेश्वर र पा0	निज	
2	501	3418	रैयती	धनहर-1	0.13	श्री रामावतार शर्मा, पे0 स्व0 नन्दलाल शर्मा वगै0 सा0-कु0स्थान		सड़क	
3	885	3802	रैयती	भीठ-2	0.035	सुल्तान, पे0 उमद मियाँ, रामेश्वर लाल, पे0 स्व0 हृदय लाल, गोदावरी, पति स्व0 रामप्रकाश, सा0-कुशेश्वरस्थान	सड़क	बिलायत हजारी	
4	1222	3803	रैयती	भीठ-2	0.03	शम्भु विश्वकर्मा, पे0 स्व0 दयाल विश्वकर्मा, गर्भू लाल, पे0 स्व0 गंगा लाल, सा0-धबोलिया	सड़क	रामस्व रूप	
5	1265	3804	रैयती	भीठ-2	0.06	भरत मंडल, पे0 स्व0 राजेन्द्र मंडल वो हरेशम मंडल, पे0 स्व0 गंगा मंडल वो0 नथूनी मंडल वगैरह	सड़क	रामकि सुन मंडल	
6	663	3812	रैयती	भीठ-2	0.055	रामवृक्ष पासवान वो रामपदारथ पासवान, पे0 रामखेलावन पासवान वो कमलेश्वर पोद्दार वगैरह	सड़क	मनु खतबे	
7	250	3818	रैयती	भीठ-2	0.05	नन्दकिशोर राय, पे0 रुदल राय वो रंजीत दास पे0 राम सागर दास वो रामप्रवेश मंडल, पे0 विन्देश्वर मंडल	रामस्व रूप मंडल	सबदुल मियाँ	
8		3819	रैयती	भीठ-2	0.02	रंजीत दास, पे0 रामसागर दास वगैरह			
9	683	3829	रैयती	भीठ-2	0.025	नूर मोहम्मद वो शमसूल, पे0 ईदरिश			

10	1140	3830	रैयती	भीठ-2	0.02	मुन्ती देवी, पति स्व0 राज कुमार साह, बच्ची देवी, पति स्व0 राजेन्द्र साह वो उमेश दास	सड़क	जागेश्वर पोदार
11	737	3855	रैयती	भीठ-2	0.005	राम कुमार चौपाल, पे0 स्व0 नारायण चौपाल	सड़क	गीता खतबे
12	200	3858	रैयती	भीठ-2	0.155	प्रहलाद टिकरेबाल, पिता स्व0 भाजी टिकरेबाल वो0 संतोष टिकरेबाल, पे0 राम कुमार टिकरेबाल, राधेश्याम टिकरेबाल पे0 गोपी राम टिकरेबाल	सड़क	निज
13	683	3864	रैयती	भीठ-2	0.03	जीवछ मंडल वगैरह पे0 स्व0 शिवनन्दन मंडल	सड़क	सरयुग साह
14	1205	3865	रैयती	भीठ-2	0.025	पलटन मियाँ, पे0 उमद मियाँ वो एनूल मियाँ पिता स्व0 सुदाम मियाँ	सड़क	कबीर साहब
15	1116	3866	रैयती	भीठ-2	0.045	राजेश साह पे0 स्व0 राम उदगार साह, श्याम सदा पे0 स्व0 शिवजी सदा	सड़क	कबीर साहब
16	737	4041	रैयमी	भीठ-2	0.04	जीवछ मंडल वगैरह पिता स्व0 शिवनन्द मंडल	सड़क	निज
17	1331	3415	रैयमी	धनहर-1	0.095	किशोरी पासवान वो विमल पासवान वगैरह, पे0 स्व0 पवित्र पासवान	निज	परमेश्वर
18	1331	3411	रैयमी	धनहर-1	0.03	फूलो पासवान, पे0 स्व0 पवित्र पासवान	पवित्र पा0	
19	488	3410	रैयमी	धनहर-1	0.035	रघुनन्दन पासवान, पे0 स्व0 सिधेश्वर पासवान	ठिठर सदा	सड़क
20	624	3392	रैयमी	भीठ-2	0.01	मनी हजारी, पे0 स्व0 विलायत हजारी	रामपुका र हजारी	सड़क
21		3796	रैयती	भीठ-2	0.005	जगदीश पोद्दर, पे0 स्व0 गोविन्द पोद्दर, सा0-धवोलिया		
22	200	3863	रैयती	भीठ-2	0.06	संतोष टिकरेबाल, पे0 स्व0 राजकुमार टिकरेबाल वगैरह	सड़क	मुसनी देवी
23	737	3855	रैयती	भीठ-2	0.005	राज कुमार चौपाल, पे0 स्व0 नारायण चौपाल	सड़क	गीता खतबे
कुल--					1.08			

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

६/६

समाहर्ता, दरभंगा
-सह-
समुचित सरकार।

ज्ञापक १७/१२/१९

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिरोल/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।
प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, कु०स्थान पूर्वी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :- आयुक्त एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, बि०रा०पु०नि०लि० दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू-अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

समाहर्ता, दरभंगा
-सह-
समुचित सरकार।